न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

अपील प्रकरण संख्या: 71/2015

सगनलाल पुत्र टोपूराम जाति मेघवाल निवासी 14 ए (प्रेमनगर), श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. कमला देवी पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर
2. कालूराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल साकन 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर
3. पेराराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल साकन 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर
4. तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री भगवानदत्त शर्मा

निर्णय दिनांक: 16.02.2018

अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 एल..सी तहसील श्रीविजयनगर के पत्थर न. 146/352 के किला न. 1 ता 15 =15.00 बीघा रकबा उत्तरवादीगण संख्या 2, 3 के दादा टोपूराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल को पाक विस्थापितों के ग्रुप लीडर के रूप में आवंटित किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 के पिता के भाई खानूराम ने सेटलमेंट अधिकारी, बीकानेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रकबा में तथाकथित तरीके से टोपूराम की एकमात्र वारिस पार्वती बेवा पूराराम के नाम दर्ज करवा लिया। पार्वती का देहान्त होनें के पश्चात इस रकबा का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 के पिता गंगाराम व उसके भाई खानूराम के नाम से स्वीकृत हो गया । अपीलांट ने सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 07.07.1982 के विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर न्यायालय , सूरतगढ में अपील संख्या 34/07 पेश की जो दिनांक 30.01.2008 को मियाद के बिन्दु पर खारिज हो गई जिसके खिलाफ श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के न्यायालय में अपील संख्या 241/2009 सगन लाल बनचाम खानूराम पेश की जो दिनांक 15.02.2011 को स्वीकार हो गई व सहायक भू–प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 07.7.1982 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का आदेश दिनांक 30.01.2008 खारिज कर दिया जिसके खिलाफ रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 ने निगरानी संख्या 3014/11 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष पेश की जो दिनांक 31.3.2014 को स्वीकार हो गई। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट संख्या 3399/14 सगनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश कर दी जो अभी जैरकार है रिट जैरकार रहते हुए रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 ने जैरअपील रकबा में से 1.897 है0 रकबा उत्तदवादी न. 1 को तथाकथित तरीके से बेचान कर दिया जिसका इंतकाल गैरकानूनी तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम इंतकाल संख्या 465 दिनांक 21.5.15 को तस्दीक कर दिया।

अपील संख्या 71/2015 पर दर्ज किया गया। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलांट ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये व रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पाक विस्थापितों के ग्रुप लीडर के रूप में हमारे दादा टोपूराम पुत्र जेठाराम को आवंटित की गई थी। टोपूराम के बाद उक्त जमीन हमारी थी। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 के भाई खानुराम ने सेटलमेंट ऑफिसर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करके उक्त रकबा में तथाकथित तरीके से टोपूराम की एकमात्र वारस पार्वती बेवा पूराराम बताकर सहायक भू प्रबंध अधिकारी, श्रीविजयनगर से दिनांक 07.07.1982 को टोपूराम का उक्त रकबा पार्वती बेवा पूराराम के नाम दर्ज करवा लिया। पार्वती का देहान्त होनें के पश्चात इस रकबा का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 के पिता गंगाराम व उसके भाई खानूराम के नाम से स्वीकृत हो गया। अपीलांट ने सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 07.07.1982 के विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर न्यायालय , सूरतगढ में अपील संख्या 34/07 पेश की जो दिनांक 30.01.2008 को मियाद के बिन्दु पर खारिज हो गई जिसके खिलाफ श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के न्यायालय में अपील संख्या 241/2009 सगन लाल बनाम खानूराम पेश की जो दिनांक 15.02.2011 को स्वीकार हो गई व सहायक भू–प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 07.7.1982 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का आदेश दिनांक 30.01.2008 खारिज कर दिया जिसके खिलाफ रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 ने निगरानी संख्या 3014/11 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष पेश की जो दिनांक 31.3.2014 को स्वीकार हो गई। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट संख्या 3399/14 सगनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश कर दी जो अभी जैरकार है रिट जैरकार रहते हुए रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 ने जैरअपील रकबा में से 1.897 है0 रकबा उत्तदवादी न. 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

को तथाकथित तरीके से बेचान कर दिया। खानूराम ने विवादित रकबा का इंतकाल मिथ्या कथनों के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 के पिता व अपने नाम करवाया है। अपीलांट की माता जसोदा व अपीलार्थी की दादी पार्वती एवं अपीलांट की बुआ तुलसी के मिलते जुलते नामों का तथाकथित तरीकों से फायदा उठाकर यही रकबा पहले पार्वती पत्नी पूराराम के नाम फर्जकारी करके दर्ज करवा लिया व तत्पश्चात खानूराम, गंगाराम पिसरान पूराराम के नाम दर्ज करवा लिया, जबकि इस रकबा पर पूराराम का कोई हक नहीं था। पूराराम व जेठाराम दो अलग–अलग व्यक्ति है। ग्रुप लीडर में पार्वती के पति का नाम जेठाराम उल्लेखित है जबकि खानूराम द्वारा अधिकारी को जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें पार्वती के पति का नाम पूराराम उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार गैरकानूनी तरीके विवादित इंतकाल संख्या 485 दिनांक 21.5.2015 तस्दीक करवाया गया हैं। हमारें द्वारा इसी इंतकाल के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व मौके पर काबिज अपीलांट के कब्जा काश्त की जांच नहीं की गई। उक्त नामांतरण को दर्ज किये जाने की दिनांक 13.02.2013 से 45 दिवस की अवधि तक सरपंच, ग्राम पंचायत को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधिकार प्राप्त है। यदि उनके द्वारा यह नामांतरण स्वीकृत नहीं किया जाता तभी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को नामांतरण स्वीकृत करने का नियमानुसार अधिकार है। अपीलांट को उक्त इंतकाल की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 10.8.2015 को हुई । अतः अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। मै इंतकाल का पक्षकार नहीं हूं पर मै इस रकबे का हितबद्व व्यक्ति हूं। अतः अपील स्वीकार कर इंतकाल खारिज किया जावें।

वकील रेस्पोडेंट ने अपील बहस में कथन किया कि सगनलाल टोपूराम का लड़का बनकर आया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने भी अपने निर्णय दिनांक 31.3.14 में अंकन किया गया है कि सगनलाल टोपूराम का लडका नहीं है। सगनलाल द्वारा पूर्व में भी इसी आशय की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 30.01.2008 को खारिज कर दी गई थी। उक्त निर्णय के विरूद्व सगनलाल द्वारा एक अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के समक्ष अपील 241/2009 पेश की गई जो स्वीकर की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2008 खारिज कर दिया गया। श्रीमान संभागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्व एक निगरानी खानूराम आदि द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर की जिसमें अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ का निर्णय यथावत् रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्व सगनलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया जो जेरकार है जिसमें किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। किसी न्यायालय में द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं है। अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि इंतकाल दर्ज करने के 45 दिवस तक पंचायत को अधिकार है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि उक्त अवधि में तहसीलदार की शक्तियां छिन्न नहीं हो जाती । अर्थात तहसीलदार को भी इंतकाल स्वीकृत करने की शक्ति है। अपीलांट द्वारा जिस बिन्दु पर अपील पेश की गई है वह अधिकारों की घोषणा से संबंधित है, जो सक्षम न्यायालय से ही घोषित करवावें। अतः अपील खर्चे सहित खारिज की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन, मनन किया । जिससे यह तथ्य सामने आये हैं कि अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इसी न्यायालय में अपील पेश की गई जो मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्व सगनलाल द्वारा एक अपील श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर के समक्ष अपील 241/2009 पेश की गई जो स्वीकर की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2008 खारिज कर दिया गया। श्रीमान संभागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्व एक निगरानी खानूराम आदि द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर की जिसमें अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ का निर्णय यथावत् रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्व सगनलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया जो जैरकार है जिसमें किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त प्रकरणों के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एक प्रकरण जैरकार जिसमें किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, उक्त विवादित भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी अपील खारिज की जा चुकी है व उक्त आदेश दिनांक 30.01.2008 आज भी प्रभावी है। अतः अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/02/18

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner